महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–564/नौ–7–2022–21(ज)/2022

प्रेषक,

अमृत अभिजात,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 13 मई, 2022**

विषयः नगरीय निकायों में स्थित ग्रीन बेल्ट/बंजर/चारागाह आदि की भूमि, जो स्थानीय निकायों के प्रबन्धनाधीन है, में पार्कों एवं खेल के मैदान को विकसित किये जाने हेतु दिनांक 16.05.2022 से 25.05.2022 तक विशेष चिन्हांकन अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से न केवल जन स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि निकायों के सीमित वित्तीय संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। 15वें वित्त आयोग की धनराशि की आवंटन में भी AQI (Air Quality Index) तथा अन्य पर्यावरणीय मानकों को रखा गया है। अतः पर्यावरण संतुलन तथा जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक तरीके से पार्कों एवं खेल के मैदानों का विकास किया जाय।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उ0प्र0 पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम 1975 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के अधीन नगरीय निकायों में पार्कों एवं खेल के मैदानों के विकास हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायें :–

1) पार्कों के विकास :–

I. निकायों में विद्यमान विकसित/अर्द्धविकसित/अविकसित पार्कों का चिन्हांकन करते हुए उनकी जिओ मैपिंग करायी जाय साथ ही साथ स्थानीय निकायों के प्रबन्धन की अन्य रिक्त भूमियों यथा–बंजर/चारागाह/नवीन परती तथा राजकीय आस्थान आदि में भी पार्कों की सम्भावना के दृष्टिगत उनका चिन्हांकन तथा जिओ मैपिंग की जाय।

II. विद्यमान पार्क एवं प्रस्तावित पार्क हेतु चिन्हित स्थलों पर अतिक्रमण होने की दशा में अभियान चलाकर उक्त स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही तत्काल की जाय।

Scanned by CamScanner

III. उपरोक्त पार्कों को विकसित करने के सम्बंध में माइक्रो प्लान बनाते हुए आवश्यकतानुसार आगणन तैयार किया जाय तथा इस हेतु वित्तीय व्यवस्थापन करते हुए चरणबद्ध रूप से उनका विकास किया जाय।

IV. पार्कों की बाउण्ड्री के लिये फैन्सिंग या वृक्षारोपण का विकल्प अपनाया जाय। उक्त के अतिरिक्त पाथ–वे एवं अन्य स्थलों पर कंक्रीट का न्यूनतम प्रयोग करते हुए पार्कों का विकास कराया जाय।

V. पार्कों में पौधरोपण एवं लैण्ड स्केपिंग हेतु विषय–विशेषज्ञ की सहायता अवश्य ली जाय।

VI. नगर पंचायतों में कम से कम 1, नगर पालिका परिषदों में 2 तथा नगर निगमों में कम से कम 5 थीमबेस All Ability Park का विकास किया जाय।

VII. बड़े पार्कों में Kids Zone तथा Open Gym का भी विकास किया जाय।

VIII. पार्कों को विकसित करते समय जल के स्रोत एवं इसकी नियमित उपलब्धता का अवश्य ध्यान रखा जाय।

IX. पार्कों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

पार्कों को विकसित किये जाने के साथ–साथ नवग्रह एवं नक्षत्र वाटिका के विकल्प पर विचार करते हुये जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने की संभावना के साथ एकीकृत विकास किया जाय।

जन सामान्य की सुगमता हेतु पार्कों तक जाने वाले पहुँच मार्गों को विकसित किया जाय।

स्थानीय निकाय के संसाधनों के दृष्टिगत निकाय द्वारा विकसित किये गये पार्कों के रख–रखाव हेतु आवश्यकतानुसार RWA/NGO/Other Institutions इत्यादि से पी0पी0पी0 माडल पर O&M Agreement किया जाय।

निकायों में पार्को के विकास के साथ–साथ ग्रीन बेल्ट हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाय तथा ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से छायादार, फलदार एवं शोभाकार वृक्षों को लगाया जाय। निकाय के मुख्य स्थलों, चौराहों पर वर्टिकल गार्डेन भी लगाये जायें। निकायों द्वारा Plant Nursery का भी विकास किया जाय, जिससे ग्रीन बेल्ट के विकास, वृक्षारोपण, वर्टिकल गार्डेन हेतु आवश्यकतानुसार पौधों/वृक्षों की आपूर्ति हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त निकायों द्वारा सुसंगत शासनादेशों के अनुक्रम में आगामी वर्षाकाल से पूर्व अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाय तथा **"मेरा वृक्ष मेरा गौरव"** जैसे टैग लाइन्स का प्रचार–प्रसार करके जनसामान्य को अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न अवसरों पर यथा जन्मोत्सव, विवाहोत्सव के समय वृक्षारोपण हेतु भी प्रेरित किया जाय।

2) खेल के मैदान का विकास :–

I. निकायों में पूर्व से विद्यमान खेल के मैदानों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के प्रबन्धनाधीन रिक्त भूमियों पर खेल के मैदान के विकास हेतु स्थलों का चिन्हाकन करते हुए उनकी जिओ मैपिंग करा ली जाय।

II. विद्यमान खेल के मैदान एवं प्रस्तावित खेल के मैदान हेतु चिन्हित स्थलों पर अतिक्रमण होने की दशा में अभियान चलाकर उक्त स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही तत्काल की जाय।

Scanned by CamScanner

III. उपरोक्त खेल के मैदानों को विकसित करने के सम्बंध में माइक्रो प्लान बनाते हुए आवश्यकतानुसार आगणन तैयार किया जाय तथा इस हेतु वित्तीय व्यवस्थापन करते हुए चरणबद्ध रूप से उनका विकास किया जाय।

IV. खेल के मैदानों में Kids Zone तथा Open Gym का भी विकास किया जाय।

V. खेल के मैदानों को पारम्परिक भारतीय खेलों यथा वॉलीबाल, कबड्डी, मलखम इत्यादि के अनुकूल भी विकसित किया जाय तथा वहॉ पर योग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाय।

VI. खेल के मैदानों के पहुँच मार्ग को विकसित किया जाय।

VII. खेल के मैदानों की बाउन्ड्रीवाल भी की जाय।

3. नगरीय निकायों के प्रबन्धन के अधीन रिक्त भूमियों यथा–बंजर/ चारागाह/नवीन परती तथा राजकीय आस्थान आदि में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित पार्को/खेल के मैदान के अतिरिक्त स्कूल/अस्पताल/अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु भी भूमि का चिन्हांकन करते हुए आरक्षित किया जाय ।

4. उपरोक्त समस्त चिन्हित भूमियों का सम्पत्ति रजिस्टर में अंकन का कार्य अवश्य कराया जाय।

5. उपरोक्त चिन्हांकन हेतु समस्त नगरीय निकायों में **दिनांक 16.05.2022 से दिनांक 25.05.2022** तक अभियान चलाया जाय।

6. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये स्थलों का चिन्हाकन एवं तद्संबंधी सूचना संलग्न प्रारूप–1, 2, 3 एवं 4 पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 25.05.2022 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निकाय द्वारा की जा रही उपरोक्त कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुए उक्त की सूचना संकलित कर परीक्षणोंपरान्त शासन को दिनांक 26.05.2022 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रारूप–1

नगरीय निकायों के स्वाामित्व/प्रबन्धन की भूमि पर पूर्व से विद्यमान पार्कों/खेल के मैदानों के सम्बंध में सूचना

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	विद्यमान पार्कों की संख्या								विद्यमान खेल के मैदानों की संख्या				
			(क्षे0–0.5 एकड़ से 2.50 एकड़)				(क्षे0–2.50 एकड़ से अधिक)				(क्षे0–0.5 एकड़ से 2.50 एकड़)		(क्षे0–2.50 एकड़ से अधिक)		
			विकसित	अर्द्धविकसित	अविकसित	कुल	विकसित	अर्द्धविकसित	अविकसित	कुल	विकसित	अविकसित	विकसित	अविकसित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
2.															

प्रारूप–2

नगरीय निकायों के स्वाामित्व/प्रबन्धन की रिक्त भूमि पर प्रस्तावित पार्कों/खेल के मैदानों के सम्बंध में सूचना

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित पार्कों की संख्या			प्रस्तावित खेल के मैदानों की संख्या		
			(क्षे0–0.5 एकड़ से 2.50 एकड़)	(क्षे0–2.50 एकड़ से अधिक)	कुल	(क्षे0–0.5 एकड़ से 2.50 एकड)	(क्षे0–2.50 एकड़ से अधिक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								

Scanned by CamScanner

प्रारूप–3

नगरीय निकायों के स्वाामित्व/प्रबन्धन की भूमि पर पूर्व से विद्यमान पार्कों के सम्बंध में विस्तृत सूचना

जनपद **निकाय**

क0 सं0	पार्क का नाम	मोहल्ला /वार्ड का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	(क) विकसित (ख) अर्द्धविकसित (ग) अविकसित	यदि पार्क के रख–रखाव हेतु किसी RWA/ NGO/ अन्य संस्था से एग्रीमेंट किया गया हो, तो उसका नाम	यदि अतिकमण है, तो अतिकमित क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में)	पहुँच मार्ग 1. कच्चा मार्ग 2. खड़ंजा/इंटरलॉकिंग 3. डामर रोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								

प्रारूप–4

नगरीय निकायों के स्वाामित्व/प्रबन्धन की भूमि पर पूर्व से विद्यमान खेल के मैदानों के सम्बंध में विस्तृत सूचना

जनपद **निकाय**

क0 सं0	मैदान का नाम	मोहल्ला/ वार्ड का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	यदि अतिकमण है, तो अतिकमित क्षेत्र का क्षेत्रफल	पहुँच मार्ग 1. कच्चा मार्ग 2. खड़ंजा/इंटरलॉकिंग 3. डामर रोड
1	4	5	6	7	8	9
1.						
2.						

Scanned by CamScanner